न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर द्वितीय अलवर (राज0)

अपील संख्या 12/49/2019

प्रवेश तिथि 24.07.19

अपीलार्थी	बनाम	प्रत्यर्थी
श्री सुरेश कुमार पुत्र बिरजुराम उर्फ बृजमोहन निवासी–ग्राम भौंकर, तहसील–कोटकासिम(अलवर)		राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी कोटकासिम (अलवर)

प्रथम अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

निर्णय

दिनांकः 09.09.2019

1. उभयपक्ष अनुपस्थित।
2. मैंने पत्रावली का परिशीलन किया।
3. अपीलार्थी ने उक्त अधिनियम अंतर्गत आवेदन–पत्र दिनांकः – के माध्यम से प्रत्यर्थी कार्यालय को तहसीलदार कोटकासिम (अलवर) के पत्रांकः राजस्व/पुनर्वास/2018/192 दिनांकः 14.3.2018 के माध्यम से प्रेषित निष्क्रांत कस्टोडियन भूमि संबंधी संपूर्ण पत्रावली की प्रमाणित फोटोप्रति चाही गई।
4. आवेदक को प्रत्यर्थी द्वारा कोई सूचना उपलब्ध नहीं कराई जाने के कारण इस कार्यालय को प्रथम अपील प्रस्तुत की गई।
5. प्रथम अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रत्यर्थी पक्ष को नोटिस के माध्यम से तलब किया गया। समयान्तर में जवाब अप्राप्त रहने के कारण बार–बार स्मरण–पत्र जारी करने उपरान्त भी प्रत्यर्थी की ओर से कोई जवाब प्राप्त नहीं हुआ और ना ही कोई सुनवाई के दौरान उपस्थित रहा।
6. हमने अपील में वर्णित तथ्यों पर मनन किया। अपीलार्थी द्वारा प्रथम आवेदन दिनांक– (आवेदन में प्रस्तुत करने का दिनांक अंकित नहीं है) के माध्यम से प्रत्यर्थी कार्यालय को सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत तहसीलदार कोटकासिम के पत्रांकः राजस्व/पुनर्वास/2018/192 दिनांकः 14.3.2018 के माध्यम से प्रेषित निष्क्रांत कस्टोडियन भूमि संबंधी संपूर्ण पत्रावली की प्रमाणित फोटोप्रति चाही गई जिसके परिप्रेक्ष्य में प्रत्यर्थी कार्यालय द्वारा पत्रांकः 1554 दिनांकः 02.07.19 के माध्यम विनिश्चय करते हुए आवेदक को सूचित किया गया कि राजस्व न्यायालय से संबंधित पत्रावली की प्रमाणित प्रति जारी करने के संदर्भ में अलग से नियम बने हुए हैं जिसकी पालना करते हुए ही प्रमाणित प्रतियाँ जारी की जा सकती हैं एवं वांछित सूचना/प्रार्थना–पत्र में अनुवान, पत्रावली नंबर व सुनवाई दिनांक अंकित नहीं होने के कारण अधिनियम, 2005 की धारा 7(9) के प्रकाश में श्रमसाध्य आवेदन होने के कारण आवेदन अस्वीकार कर आवेदक को सूचित किया गया।
7. अपीलार्थी द्वारा वांछित सूचना संबंधी आवेदन में स्पष्ट रूप से उल्लेखित किया है कि "तहसीलदार कोटकासिम के पत्रांकः राजस्व/पुनर्वास/2018/192 दिनांकः 14.3.2018 के माध्यम से प्रेषित निष्क्रांत कस्टोडियन भूमि संबंधी संपूर्ण पत्रावली की प्रमाणित फोटोप्रति

अतिरिक्त जिला कलेक्टर (द्वितीय) अलवर (राज0)

उपलब्ध कराई जाए।" प्रत्यर्थी को चाहिए था कि वो उक्त पत्र के माध्यम से प्राप्त पत्रावली की प्राप्ति के संबंध में पूर्ण गहन जॉच कर जहॉ कहीं पत्रावली रखी गइ/स्थापित है, पत्रावली को अधिनियम, 2005 की धारा 7(1) के प्रकाश में खोजकर वांछित सूचना अविलम्ब उपलब्ध कराते एवं धारा 7(3)क की पालना में संबंधित पत्रावली की फोटोप्रति हेतु अधिनियम में वर्णित शुल्क से भी आवेदक को सूचित करते जिससे राजस्व की हानि से बचा जा सके।

8. जहाँ तक आवेदन में वांछित सूचना संबंधी पत्रावली का राजस्व न्यायालय में लम्बित होना या नहीं होना, का अंकन का प्रश्न है, यह प्रत्यर्थी विभाग की ही जिम्मेदारी है कि तहसीलदार कोटकासिम से प्राप्त अमुक पत्रावली न्यायालय में विचाराधीन है या अन्य स्तर पर लम्बित है। उक्त के अतिरिक्त सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 22 के तहत उक्त अधिनियम, 2005 का अन्य प्रावधानों पर अध्यारोही प्रभाव (overriding effect) है। जिसके अनुसार इस प्रकार आवेदकों को सूचना से वंचित किया जाना अनुचित है।
9. उक्त आलोक में प्रत्यर्थी द्वारा पत्रांकः 1554 दिनांकः 02.07.19 के माध्यम से आवेदन पर किया गया विनिश्चय आदेश अपास्त किया जाता है। अपील स्वीकार कर प्रत्यर्थी विभाग को निर्देशित किया जाता है कि आवेदन में वांछित सूचना, उक्त निर्णय प्राप्ति के अधिकतम 15 दिवस में अधिप्रमाणित कर निःशुल्क ही पंजीकृत–पत्र के माध्यम से अपीलार्थी को उपलब्ध कराई जावे व भविष्य में उक्त अधिनियम, 2005 अंतर्गत प्राप्त आवेदनों पर प्रावधानानुसार पूर्ण मनन कर विनिश्चय किया जावे। उक्त के अतिरिक्त उच्चाधिकारियों द्वारा प्रेषित पत्रों/नोटिस पर समय पर जवाब प्रस्तुत किया जावे।
10. आदेश की प्रति उभय पक्ष को प्रेषित हो।
11. निर्णय घोषित ।

(भगवतसिंह देवल)
अपीलीय अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला कलक्टर
(द्वितीय) अलवर (राज0)